भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संदर्भ में: गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन-2017।

आदेश

भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** (इसके पश्चात **1951**-अधिनियम) की धारा **12** के अधीन दिनांक **21** जुलाई, **2017** की अपनी अधिसूचना के द्वारा गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों सहित अन्यों के साथ मिलकर राज्य सभा के तीन सदस्यों जिनका कार्यकाल **18** अगस्त को समाप्त हो रहा है, का निर्वाचन करने के लिए उक्त राज्य सभा से द्विवार्षिक निर्वाचनों की अपेक्षा की थी।

2. उक्त अधिनियम, **1951** की धारा **39** के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ **08** अगस्त, **2017** को गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपर्युक्त निर्वाचन हेतु मतदान की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। मतदान, यथाअधिसूचित रूप से आज पूर्वाह्न **09:00** बजे से अपराह्न **04:00** बजे के बीच आयोजित किया गया। मतदान की समाप्ति के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात विधान सभा के **182** सदस्यों में से **176** (विधान सभा में **6** सीटें रिक्त होने के कारण) ने निर्वाचन में मतदान किया था। आयोग से मतों की गणना आरंभ करने की अनुमति मांगते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जो कि आयोग में लगभग **05:19** अपराह्न को प्राप्त की गई थी, में रिटर्निंग अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया था कि मतदान की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रत्यायोजित अभ्यर्थी श्री शैलेश भाई परमार ने निर्वाचन का संचालन नियम, **1961** के नियम **39**कक के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए दो मतदाताओं, नामत: श्री राघव जी भाई पटेल और श्री भोला भाई गोहिल द्वारा डाले गए मतों को अस्वीकृत करने, क्योंकि उन्होंने अपना चिन्हित मतपत्र कांग्रेस पार्टी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्यों को भी दिखाया था, के लिए दो लिखित आवेदन प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी रिपोर्ट किया कि उक्त शिकायतों की उनके द्वारा जांच की गई ओर यह भी कि मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी देखी गई और उसी के अनुसरण में ही उन्होंने निर्वाचन अभिकर्ता श्री शैलेश भाई परमार द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने तद्नुसार मतों की गणना आरंभ करने के लिए आयोग की अनुमति मांगी है।

3. जब मामला आयोग के विचाराधीन था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री आर.एस. सुरजेवाला और श्री आर.पी.एन. सिंह सहित एक प्रतिनिधिमंडल आज लगभग **05:30** बजे आयोग से मिला और आयोग से अभिवेदन किया कि रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की आपत्ति को अनुचित रूप से खारिज कर दिया था। और यह दावा किया कि उक्त दोनों मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया का अनुपालन न करके मतों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अपने खुद के देखने के लिए वीडियों रिकार्डिंग मंगवाकर स्थिति की जांच कर सकता है। आईएनसी के अभ्यर्थी श्री अहमद पटेल ने आयोग को अपनी पार्टी के समान ही अनुरोध करते हुए ई-मेल भी भेजा अर्थात मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन हेतु उपर्युक्त दोनों मतों को रद्द किया जाए।

4. इसके तत्काल बाद, श्री अरूण जेटली, श्री रवि शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में और अन्य सहित भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आयोग से मिला और गणना के जल्दी प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करते हुए दावा किया कि मतदान और मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी सांविधिक प्राधिकारी है और वही निर्धारित नियमों के अनुसार मतपत्र की अन्यथा विधिमान्यता के संबंध में निर्णय लेता है, अत:, आयोग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि यह विषय पहले ही अधिनियमित विधि के अधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सभा के निर्वाचनों मे गोपनीयता की अवधारणा अब विधिमान्य नहीं है क्योंकि संसद ने स्वयं ही राज्य सभा के निर्वाचनों को ओपन बैलेट के माध्यम से कर दिया है। इसके पश्चात, श्री गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में आईएनसी का एक अन्य प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिला और श्री सुरजेवाला द्वारा पहले किए गए निवेदन को दोहराया। श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी आयोग से पुन: मिला और उनके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय की बात दोहराई और मतों की गणना आरंभ करने के लिए आयोग के शीघ्र निर्णय हेतु अनुरोध किया।

5. इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी की उपरोक्त शिकायतों और प्रति-शिकायतों पर विचार करते हुए आयोग ने मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग प्राप्त करना ही उपयुक्त माना ताकि उपर्युक्त विवाद के संबंध में सही तथ्यों का पता लगाया जा सके। तदनुसार, आयोग रिटर्निंग अधिकारी से वीडियो रिकार्डिंग के सुसंगत अंश प्राप्त किए गए। रिटर्निंग अधिकारी ने वीडियो रिकार्डिंग से केवल वही सुसंगत भाग प्रेषित किया जिसमें उक्त दोनों एमएलए को वोट डालते हुए दिखाया गया।

6. आयोग ने दोनों राजनैतिक दलों की शिकायतों और प्रति-शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और साथ ही सुसंगत संवैधानिक और विधिक उपबंधों की जांच की तथा साथ ही वीडियो रिकार्डिंग से यथा-अवलोकित वास्तविक स्थिति को भी ध्यान में रखा।

7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **59** उपबंधित करती है कि ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में मत दिए जांएगे जैसी विहित की जाए। उक्त धारा **59** का परंतुक आगे यह उपबंधित करता है कि राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन में खुले मतपत्र द्वारा मत दिए जाएंगे। अत:, उक्त धारा **59** जो कि निर्वाचनों में मतदान को विनियमित करने का मुख्य उपबंध है, मतदान आयोजित कराने के लिए, यहां तक कि राज्य सभा के निर्वाचनों में खुले मतदान के मामलें में भी, विधि निर्धारित करना उपबंधित करती है।

8. राज्य सभा के निर्वाचनों में मतदान आयोजित कराने के संबंध में सुसंगत नियम निर्वाचन संचालन नियम, **1961** के नियम **70** में निहित हैं जो उक्त नियम **28** से **35** और **36** से **48** के उपबंध बनाते हैं **(**जो लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों में मतदान की रीति निर्धारित करते हैं**)** और जो स्वयं उक्त नियम **70** के अधीन यथा निर्धारित संशोधनों के साथ राज्य सभा निर्वाचनों में लागू होंगे।

9. वर्तमान मामले के विवाद में सुसंगत नियम, नियम **39** क नियम **39** क क हैं। उक्त दोनों नियमों का संयुक्त पठन दिखाएगा कि राज्य सभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचक को मतपेटी में मतपत्र डालने से पहले अपना चिन्हृति मतपत्र उस प्राधिकृत प्रतिनिधि को दिखाना होता है जिससे उसका संबंध है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचक को अपना मतपत्र केवल अपनी पार्टी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही दिखाना होता है और किसी को नहीं। विधान सभा के निर्दलीय सदस्यों के मामलें में, उसे अपना मतपत्र किसी को भी नहीं दिखाना होता है। इस प्रकार से, राज्य सभा निर्वाचनों में खुले मतदान का उपबंध होने का अर्थ यह नहीं कि मत की गोपनीयता के सिद्धांत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया गया है और यह भी कि निर्वाचक के मतपत्र को मतदान स्थल पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को दिखाया जा सकता है

और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, यदि निर्वाचक द्वारा चिन्हित मतपत्र प्राधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी को दिखाया जाता है या किसी के द्वारा देखा जाता है तो यह मत की गोपनीयता का उल्लघंन कर सकता है और इसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम **39**कक के साथ पठित नियम **39**क के उप नियम **(5)** से **(8)** के उपबंधों के संसाधनों के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यह स्थिति आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैण्डबुक **(**राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के लिए**) 2016**- संपादन अध्याय x**i(i)** में पैरा **35(**ii**)** द्वारा, सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त कर दी गई थी। यह स्थिति कुलदीप नायर बनाम भारत संघ और अन्य **(**एआईआर **2006** एससी **3127)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई थी।

10. मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य **(**एआईआर **1978** एससी **851)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संविधान का अनुच्छेद **324** आयोग के लिए शक्ति का संग्रह है जो उन रिक्त/शून्य क्षेत्रों में काम करता है जहां या तो संसद द्वारा बनाई गई विधि से कुछ व्यक्त नहीं होता है या निर्वाचनों के संचालन में स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त उपबंध हैं। यहां इस वर्तमान मामले में रिटर्निंग अधिकारी ने विचाराधीन दोनों मतपत्रों को संबंधित मतदाताओं से वापस नहीं लिया है और उन्हें मतपेटी में डाल दिया गया है। नियम **39**क और **39**कक स्पष्ट रूप से यह व्यक्त नहीं करता है कि रिटर्निंग अधिकारी को क्या करना चाहिए। इन परिस्थितियों में संविधान का अनुच्छेद **324** आयोग को यह अधिकार देगा कि वह रिटर्निंग अधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सके।

11. यह इंगित करना भी सुसंगत है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **66** के अधीन रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा यह निदेश दिया जा सकता है कि राज्य सभा के निर्वाचनों सहित सभी निर्वाचनों में आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन के परिणाम घोषित न किए जाएं। राज्य सभा निर्वाचनों के मामले में रिटर्निंग अधिकारी को मतदान की समाप्ति के बाद निर्वाचन आयोग को मतों की गणना आरंभ करने की अनुमति मांगते हुए रिपोर्ट भेजनी होती है। इसके अतिरिक्त, उसे मतों की गणना पूरी हो जाने के बाद परिणाम घोषित करने हेतु आयोग से पुन: अनुमति लेनी होगी। आयोग के ये अनुदेश उक्त धारा **66** के उपबंधों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं।

12. आयोग ने उक्त दोनों विधान सभा सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की वीडियों रिकॉर्डिंग देखी और उससे यह विवेचना की कि उक्त दोनों निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया और मतपत्रों की गोपनीयता का उल्लघंन किया है।

13. इसलिए, उपर्युक्त संवैधानिक, विधिक और तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **66** के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद **324**, और निर्वाचन संचालन नियम, **1961** के नियम **39**कक और नियम **39**क तथा इसकी ओर से सशक्त करने वाली अन्य शक्तियों के अधीन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी को उक्त दोनो विधान सभा सदस्यों नामत: श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघवजी भाई पटेल के द्वारा डाले गए मतों की मतगणना के समय संबंधित मतपत्रों को अलग करते हुए निरस्त करने के निदेश देता है। इस प्रकार का पृथक्करण मतगणना के समय नियम **38**क के अधीन मतपत्रों के प्रतिपन्नों के रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित निर्वाचकों को जारी मतपत्रों की क्रम संख्या के संदर्भ में किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ, मतगणना आरंभ होने से पहले मतपत्र की उल्टी तरफ मुद्रित क्रम संख्याओं का सत्यापन करके विचाराधीन मतपत्र को अलग किया जाएगा। इस प्रकार पृथक्करण करते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की ऊपरी तरफ को नीचे की तरफ करके रखा जाएगा। क्योंकि मतपत्रों की क्रम संख्याएं मतपत्र के उल्टी तरफ मुद्रित होती हैं। उक्त दोनों मतपत्रों को इस प्रकार से अलग करके रिटर्निंग अधिकारी विधि के अनुसार गणना आरंभ करेगा।

(ओ.पी. रावत)
निर्वाचन आयुक्त

(ए.के. जोति)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 अगस्त, 2017